रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234089
CG-DL-E-11032022-234089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2022/ फाल्गुन 19, 1943
No. 189]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2022/PHALGUNA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2022

सा.का.नि. 192(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप धारा (4) और धारा 64 के खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं; इन मसौदा नियमों को मसौदा जीएसआर 172 (अ) दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से प्रकाशित मसौदा नियमों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments-morth@gov.in के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पंजीकरण और कार्य संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के, नियम 3 के उप-नियम (1) में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"जमा प्रमाणपत्र' का तात्पर्य पंजीकृत मालिक द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए आरवीएसएफ को वाहन जमा करने को चिंहित करने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है।"

3. नियम 4 में उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"वाहन डेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए संचालन शुरू करने से पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पास आईटी सिस्टम के लिए आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र होना चाहिए।"

4. नियम 4 के उप- नियम (3) में, निम्नलिखित शब्द, "साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ" का लोप किया जाएगा।

5. नियम 5 में उप नियम (ज) के खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"संचालन शुरू होने से पहले संस्था के पास नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र होंगे"

6. नियम 6, उप नियम (1) के खंड (ii) में निम्नलिखित शब्द, "प्लस नब्बे दिन" का लोप किया जाएगा

7. नियम 7 में, उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"इस नियम और नियम 6 के तहत जारी पंजीकरण हस्तांतरणीय नहीं होगा"

8. नियम 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्क्रैपिंग प्रक्रिया**: - (1) आरवीएसएफ द्वारा सभी एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के संबंध में वाहनों की स्क्रैपिंग निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, अर्थात्: -

i. पंजीकृत मालिक वाहन के जमा और आगे की कार्रवाई के लिए आरवीएसएफ या नामित संग्रहण केंद्र में प्रपत्र -2 के अनुसार वाहन पर डिजिटल रूप से आवेदन करेगा। आरवीएसएफ और नामित संग्रहण केंद्र भी नागरिकों की सहायता करने के लिए प्रपत्र-2 के डिजिटल आवेदन के साथ सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

ii. किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त किए गए वाहनों, यदि वे नियम (8) के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के मानदंडों को पूरा करते हैं, को आरवीएसएफ को सौंप दिया जाएगा ।

iii. आरवीएसएफ, वाहन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए चोरी के वाहनों के डेटाबेस के साथ स्क्रैपिंग के लिए उत्पादित वाहनों के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा।

iv. पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा वाहन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से यह भी सत्यापित करेगी -

क. कि संबंधित वाहन के लिए इस अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में भाड़ा-क्रय, पट्टा या भाड़ा क्रांती करार का विधिवत निर्वहन किया गया है,

ख. कि वाहन पर कोई राशि बकाया नहीं है, और

ग. कि वाहन को काली सूची में नहीं ड़ाला गया है

यदि वाहन इनमें से किसी भी जांच में विफल रहता है, तो मालिक को प्रपत्र-2 के अनुसार डिजिटल आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v. आरवीएसएफ द्वारा सत्यापन के लिए पंजीकृत मालिक द्वारा प्रपत्र -2 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे -

क. स्वामी के स्थायी खाता संख्या कार्ड की प्रति;

ख. मालिक के बैंक खाते का रद्द किया गया चेक;

ग. यदि वाहन को मालिक द्वारा जमा नहीं किया जाना है, तो अधिकृत प्रतिनिधि के लिए प्रपत्र-2 के पैरा 5 के अनुसार स्टांप पेपर पर प्राधिकरण पत्र लागू

घ. अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो) का पहचान प्रमाण जैसे पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र;

ड. मालिक का पता प्रमाण जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, लैंड लाइन टेलीफोन बिल या पाइप्ड कुकिंग गैस बिल आदि; तथा

च. एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल के साथ मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि का डिजिटल फोटोग्राफ

छ. मालिक की ओर से प्रपत्र -2 के पैरा 4 के अनुसार एक वचन, यह स्वीकार करते हुए कि डिजिटल प्रपत्र -2 आवेदन में दी गई सभी सूचना उसकी जानकारी के अनुसार सही है।

vi. जब वाहन पर प्रपत्र-2 के अनुसार डिजिटल आवेदन जमा किया जाता है, तो इसे सीएमवीआर के नियम 58क के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता के लिए डिजिटल रूप से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजा जाएगा।

vii. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता प्राप्त होने पर, आरवीएसएफ प्रपत्र-2 के अनुसार डिजिटल आवेदन स्वीकार करेगा और मालिक को स्क्रैपिंग के लिए वाहन जमा करने के लिए सूचित करेगा। यदि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता प्रदान नहीं किया जाता है, तो आरवीएसएफ स्क्रैपिंग के लिए आवेदन स्वीकार नहीं कर सकता है।

viii. मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को पंजीकरण के मूल प्रमाण पत्र के साथ वाहन को आरवीएसएफ को सौंपना होगा और प्रपत्र-2क के अनुसार एक डिजिटल वचन पर हस्ताक्षर करना होगा। आरवीएसएफ भी प्रपत्र-2ख के अनुसार एक डिजिटल वचन पर हस्ताक्षर करेगा। आरवीएसएफ द्वारा प्रपत्र-2 के अनुसार डिजिटल आवेदन की स्वीकृति के बाद वाहन मालिक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में, सीएमवीआर के नियम 58क के अनुसार वाहन स्क्रैपिंग के लिए अदेयता के साथ आवेदन की समय सीमा समाप्त हो जाएगी।

ix. आरवीएसएफ, वाहन के लिए सहमत राशि का, आदाता खाता चेक द्वारा डिजिटल रूप से प्रेषण या भुगतान करेगा और रिकॉर्ड के लिए मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से इसकी रसीद प्राप्त करेगा।

x. आरवीएसएफ, मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पंजीकरण प्रमाण पत्र को विकृत या उस पर छेद करेगा और स्क्रैपिंग के लिए वाहन की स्वीकृति के प्रमाण के रूप में, प्रपत्र 2ग के अनुसार वाहन में, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

xi. एक राज्य में स्थापित आरवीएसएफ, किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों को स्वीकार और स्क्रैप कर सकता है।

xii. पूरी प्रक्रिया को, किसी भी वाहन पंजीकरण प्राधिकरण के स्थान पर ध्यान दिए बगैर अखिल भारतीय आधार पर वाहन से जोड़ा जाएगा।

xiii. मालिक के लिए नए वाहन की खरीद के लिए समय-समय पर घोषित प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने के लिए जमा प्रमाणपत्र एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज होगा। इस प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की होगी।

xiv. जमा प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने योग्य होगा। प्रत्येक नए मालिक के लिए जमा का हस्तांतरण प्रमाणपत्र प्रपत्र 2घ के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। एक बार उपयोग किए गए जमा प्रमाणपत्र को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या डीलर द्वारा उक्त प्रमाणपत्र के धारक को लाभ प्रदान करने वाले वाहन डेटाबेस में "निरस्त" के रूप में अंकित किया जाएगा।

xv. जमा प्रमाणपत्र के एवज में खरीदे गए नए वाहन को पंजीकृत करने वाले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय/डीलर, जमा प्रमाणपत्र को डिजिटल रूप से सत्यापित और प्रमाणित करेंगे।

xvi. आरवीएसएफ, वाहन के पंजीकरण के राज्य में सड़क परिवहन या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को वाहन स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (विकृत या छिद्रित) के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा, ताकि वाहन पंजीकरण को सीएमवीआर के नियम 52ख के अनुसार निरस्त किया जा सके।

xvii. नियम 11 के तहत जारी वाहन स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए चेसिस नंबर का कटा हुआ टुकड़ा आरवीएसएफ के पास सुरक्षित अभिरक्षा में होगा।

xviii. निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड और जांच के लिए आरवीएसएफ अपने पास दस साल की अवधि तक सभी दस्तावेजों की डिजिटल स्कैन कॉपी को रखेगा।

xix. आरवीएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि एंड-ऑफ-लाइव वाहनों और एआईएस-129 के पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रैप किए गए वाहन के खतरनाक कलपुर्जों का निपटान या पुन:चक्रण या निपटान किया गया है।

xx. जब तक ईंधन, तेल, एंटीफ्रिज और अन्य गैसों, तरल पदार्थों आदि को निकाल कर प्रमाणित मानक कंटेनरों में एकत्र नहीं किया जाता है, तब तक वाहनों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा।

xxi. स्क्रैप किए गए वाहनों का डिजिटल रजिस्टर प्रपत्र-3 में रखा जाएगा।

9. नियम 11 के उप नियम 1 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"आरवीएसएफ, आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात्, स्क्रैपिंग यान का एक डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके अंतर्गत प्ररुप-4 में चेसिस के कट आउट का एक डिजिटल फोटो, राष्ट्रीय रजिस्टर, वाहन डेटाबेस को उद्यतन करने और राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीएमवीआर के नियम 52ख के अनुसार अभिलेखों को उद्यतन करने हेतु संसूचित करने के लिए भी है।

10. नियम 13 के उप नियम 12 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"किसी आरवीएसएफ द्वारा स्क्रैपिंग यार्ड के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी संग्रहण केंद्र स्थापित किया जा सकता है। यदि संग्रहण केंद्र प्रदूषण नियंत्रण और डिसमेंटलिंग जैसे कार्यकलाप करता है, तो आरवीएसएफ के लिए लागू आवश्यकताएं ऐसे संग्रहण केंद्र पर भी लागू होंगी।

11. प्रपत्र-1 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रपत्र 1

(नियम 6(1) देखें)

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के लिए आवेदन

1. <u>कार्यालय उपयोग के लिए</u>

निम्न के लिए आवेदन	**कृपया लागू होने पर टिक करें**
एक नए आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण	
मौजूदा आरवीएसएफ के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण	
मौजूदा पंजीकरण में संशोधन	

आवेदन संख्या	
आवेदन तिथि	
दिनांक	
शुल्क	
सुरक्षा-जमा	

2. <u>सामान्य जानकारी</u>

i	नाम								
ii	संक्षिप्त नाम (अधिकतम 35 वर्ण)								
iii	पता								
iv	टेलीफोन								
v	फैक्स								
vi	ईमेल								
vii	सीआईएन								
viii	पैन								
ix	जीएसटी								
x	स्थिति	कंपनी	फर्म	न्यास	सोसायटी	स्वामी	सरकारी	संयुक्त उद्यम	पीपीपी
xi	संलग्नक	एमओए					एओए		
xii	कंपनी के मौजूदा कार्यकलाप (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड)								

3. <u>संयंत्र का विवरण</u>

क	स्थान (मानचित्र प्रदान करें)			
ख	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)			
ग	अधिकृत क्षेत्र का विवरण	स्वामित्व	पट्टा/अवधि	वर्ष
घ	राज्य			
ड.	जिला			
च	औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी			

4. कंपनी के प्रस्तावित कार्यकलाप	एल वाहन	हां	नहीं	क्षमता		नग
	एम वाहन	हां	नहीं	क्षमता		नग
	एन वाहन	हां	नहीं	क्षमता		नग
	अन्य	हां	नहीं	क्षमता		नग
5. प्रस्तावित पूंजी संरचना (लाख रुपया)	प्राधिकृत					
	सदस्यता					
	प्रदत्त					

6. कर्मचारियों की प्रस्तावित संख्या	

7. <u>स्थान की उपलब्धता</u>

क	निम्नलिखित स्थान और क्षेत्र (वर्गमीटर) को प्रदर्शित करते हुए संयंत्र का डिजाइन और लेआउट :-	
ख	अपशिष्ट वाहनों की सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पार्किंग के लिए प्रयोजन विशिष्ट क्षेत्र (वर्गमीटर)	
ग	अलग किए गए स्क्रैप के भंडारण के लिए निर्धारित क्षेत्र (वर्गमीटर)	
घ	संसाधित स्क्रैप और प्रयोग करने योग्य भागों के लिए स्थान (वर्गमीटर)	
ड.	ऑटोमोटिव खतरनाक कचरे के अस्थायी भंडारण के लिए निर्धारित स्थान (वर्गमीटर)	
च	पुर्जों,स्क्रेप और अपशिष्ट उत्पादों के सुरक्षित परिवहन की पार्किंग के लिए स्थान का उपबंध (वर्गमीटर)	

8. <u>उपकरणों की उपलब्धता</u>

क	प्रमाणित अ-प्रदूषणकारी उपकरण	हां	नहीं
ख	प्रमाणित खतरा विहीन उपकरण	हां	नहीं
ग	सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य उपकरण	हां	नहीं

9. <u>पर्यावरणीय मंजूरी</u>

क	स्थापित करने के लिए सहमति	
ख	संचालित करने के लिए सहमति	

10. <u>उपक्रम</u>

	आवेदक एतद्द्वारा वचन देता है कि:			
क	स्क्रैप किए गए वाहनों के सुरक्षित निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा		हां	नहीं
ख	पंजीकरण जारी होने के 12 महीनों के भीतर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा			
	i	आईएसओ 9001	हां	नहीं
	ii	आईएसओ 14001	हां	नहीं

	iii	आईएसओ 45001	हां	नहीं
ग	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2016) का अनुपालन		हां	नहीं
घ	वाहन डेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए आईटी सिस्टम के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र		हां	नहीं

ऑफलाइन प्रपत्र के मामले में डिजिटल हस्ताक्षर / कंपनी की मुहर

तारीख

"

12.

प्रपत्र-1क के लिए, प्रविष्टि 12 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"

12.	शर्तें			
	क	पंजीकरण अहस्तांतरणीय है		
	ख	उपक्रम का परिसमापन किया जाना है	तारीख	
	ग	स्व-प्रमाणन अनुपालन प्रस्तुत करें	तारीख	
	घ	सम्यक सुविधा निरीक्षण	तारीख	
	ड.	सम्यक पहला ऑडिट परीक्षण	तारीख	
	च	वाहन डेटाबेस तक सुरक्षित पहुंच के लिए आईटी सिस्टम के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्र	तारीख	

"

13. प्रपत्र-2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्रपत्र - 2"

(नियम 10(1) देखें)

वाहन स्क्रैपिंग के लिए आवेदन

1.	**स्वामी के ब्यौरे**					
	क	नाम				
	ख	पता				
	ग	मोबाइल नं.				
	घ	ईमेल				
	ङ.	पैन				
	च	बैंक खाता				
		i	बैंक का नाम			
		ii	शाखा			
		iii	खाता संख्या			
		iv	आईएफएससी			
		v	प्राप्त प्रतिफल (रु.)			
		vi	रसीद संख्या और तारीख			
2.	**वाहन का विवरण**					
	पंजीकरण सं.					
	मेक					
	मॉडल					
	वाहन श्रेणी					
	चेसिस नं.					
	इंजन नंबर					
	विनिर्माण का माह/वर्ष					
3.	**दस्तावेज**					
	क	पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र।				
	ख	पंजीकृत मालिक का पैन कार्ड।				
	ग	पंजीकृत मालिक से स्टांप पेपर पर प्राधिकृति				
	घ	मालिक के बैंक खाते का रद्द किया गया चेक				
	ङ.	प्राधिकृत प्रतिनिधि का पहचान प्रमाण, यदि लागू हो				
	च	मालिक का पता प्रमाण				
	छ	प्राधिकृत प्रतिनिधि या मालिक का डिजिटल				

	फोटोग्राफ	
4.	**प्रपत्र-2 जमा करने के समय आवेदक द्वारा वचनबद्धता**	
	मैं/ हम, ……………………………………… निवासी ………………… …………………………… एतद्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी विशिष्टियां सत्य और सही हैं; उक्त वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह बोध है कि मैं/हम ऊपर दी गई किसी भी झूठी घोषणा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।	
5	**प्राधिकृति का पत्र**	
	1. मैं ……………. निवासी …………… का पुत्र/पुत्री …………………., वाहन पंजीकरण संख्या ………………….. का मालिक एतदद्वारा निवासी …………… का पुत्र/पुत्री …………………. को उपरोक्त वाहन को स्क्रैपिंग के उद्देश्य से <आरवीएसएफ का नाम> पर जमा करने के लिए मेरे कानूनी प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत करता हूं। 2. यह कि उपरोक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जमा किया गया उक्त वाहन को मेरे द्वारा ही सभी कानूनी प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए जमा किया गया माना जाएगा। हस्ताक्षर हस्ताक्षर (प्राधिकृत प्रतिनिधि) (पंजीकृत वाहन मालिक) प्रमाणित हस्ताक्षर तारीख: स्थान:	

"

14. प्रपत्र-2 के पश्चात् प्रपत्र-2क, प्रपत्र-2ख, प्रपत्र-2ग और प्रपत्र-2घ को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"प्रपत्र- 2क"

वाहन जमा करने के समय आवेदक द्वारा वचन

(नियम 10(1) देखें)

मैं/ हम, ……………………………………… निवासी ………………… …………………………… एतद्वारा घोषणा करता हूं कि प्रपत्र 2 के आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी विशिष्टियां सत्य और सही हैं; पंजीकरण संख्या ....वाला उक्त वाहन किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं है और यह बोध है कि मैं/हम प्रपत्र 2 में दी गई किसी भी झूठी घोषणा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त वाहन पर कोई अदेयता नहीं है; उक्त वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में भाड़ा-क्रय, पट्टा, या भाड़ा क्रांति करार का विधिवत रूप से निर्वहन किया गया है और मैं/हम इस <तिथि और टाइमस्टैम्प> से पहले लंबित ऐसे किसी भी अदेयता और शुल्क के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे और मैं/हम ऐसे सभी शुल्कों से पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा <आरवीएसएफ नाम> ……… को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं।

प्रपत्र- 2ख

आरवीएसएफ द्वारा वाहन जमा करते समय वचन

(नियम 10(1) देखें)

मैं/ हम, ... <आरवीएसएफ नाम> .... की ओर से एतद्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस <तिथि और टाइमस्टैम्प> के बाद पंजीकरण संख्या .... वाले संबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि/मुकदमेबाजी के शुल्क और लान, मोटर वाहन कर आदि जैसे वित्तीय बकाया के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। और मैं/हम पंजीकृत वाहन मालिक <नाम>............. को ऐसे सभी आरोपों से पूरी तरह से की सुरक्षित रखते हैं।

प्रपत्र- 2ग

जमा प्रमाणपत्र *(नियम 10(1) देखें)*

(सीडी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए क्यूआर कोड)

जमा प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं.:

हम <आरवीएसएफ का नाम> प्रमाणित करते हैं कि वाहनों के निपटान के इन नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए वाहन पंजीकरण संख्या .... पहले पंजीकरण के वर्ष के साथ .... को हमारी आवक संख्या .... के माध्यम से हमारी सुविधा पर स्वीकार किया गया है और मालिक को सहमत राशि का भुगतान हमारे भुगतान वाउचर संख्या .... दिनांक .... के माध्यम से किया गया है।

वाहन का विवरण:

मेक:	मॉडल:
वाहन की श्रेणी/वर्ग:	वाहन का प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	क्यूबिक क्षमता:
बैठने की क्षमता (सभी में):	विनिर्माण का वर्ष (वर्ष):
लदान रहित भार (किलोग्राम):	सिलेंडर्स की संख्या:
पंजीकृत सकल वाहन भार (किलोग्राम):	व्हील बेस(एमएम):

इस प्रमाणपत्र का मालिक एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इनका लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार पंजीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में यथा निर्धारित मोटर वाहन कर पर रियायत
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

इसके अलावा, हम प्रमाणित करते हैं कि कार्रवाई पूरी होने पर अभिलेखों का अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (वाहन डेटाबेस) और सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

यह प्रमाणपत्र <सीडी के वर्तमान मालिक> के नाम पर है और .... तक वैध है।

जारी करने की तिथि: आरवीएसएफ संख्या:

स्क्रैपिंग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:(आरवीएसएफ का डिजिटल हस्ताक्षर)

वैधानिक चेतावनी: इस प्रमाण पत्र को उपयोग के समय सत्यापित करने की आवश्यकता है

व्यापार करने की जानकारी

MORTH Government of India

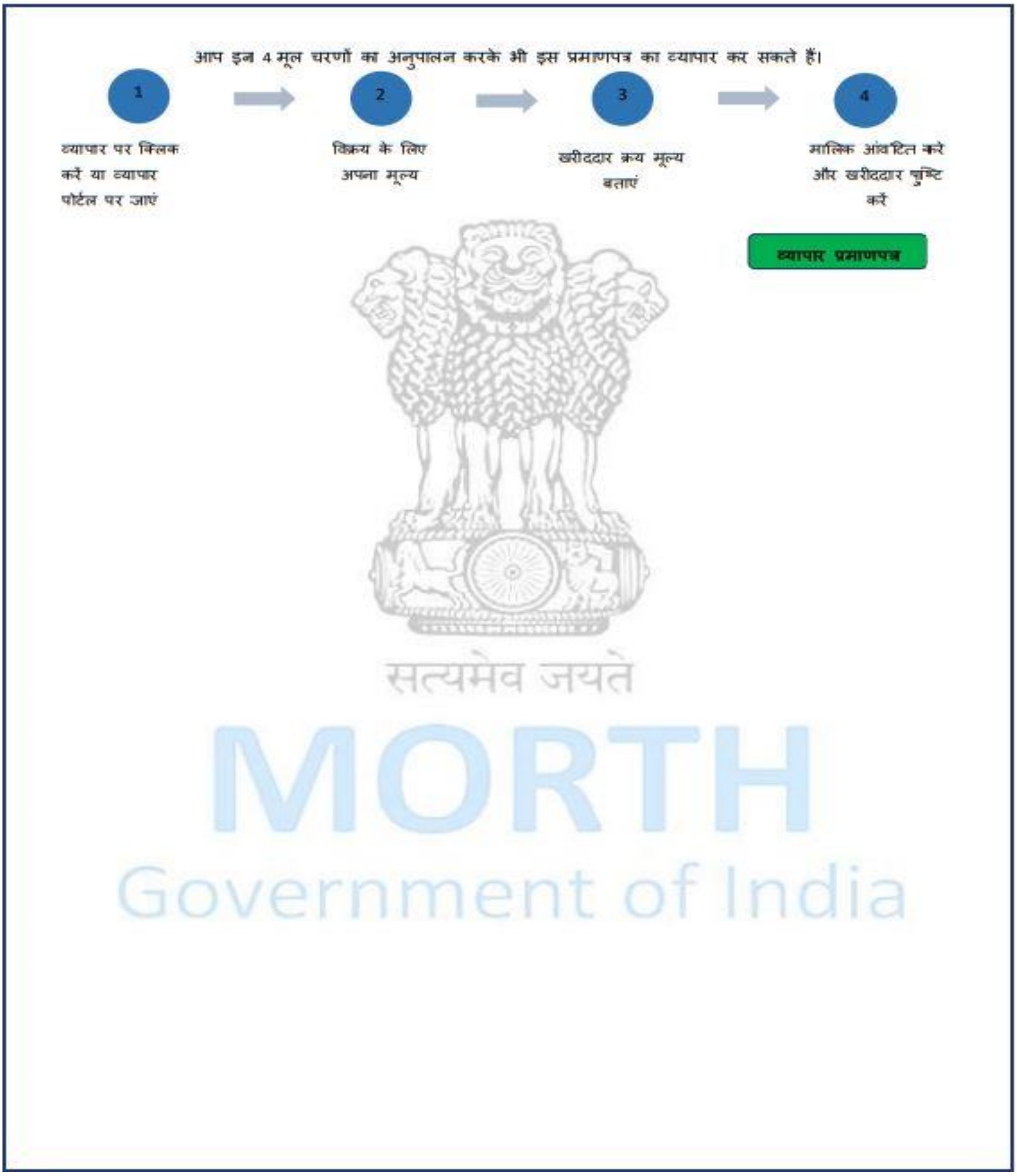
आप इन 4 मूल चरणों का अनुपालन करके भी इस प्रमाणपत्र का व्यापार कर सकते हैं।
1
2
3
4
व्यापार पर क्लिक करें या व्यापार पोर्टल पर जाएं
विक्रय के लिए अपना मूल्य
खरीददार क्रय मूल्य बताएं
मालिक आंवटित करे और खरीददार पुष्टि करें
व्यापार प्रमाणपत्र
सत्यमेव जयते
MORTH
Government of India

प्रपत्र – 2घ

जमा का अंतरण प्रमाणपत्र *(नियम 10(1) देखें)*

प्रमाण पत्र सं.:

इस प्रमाण पत्र का व्यापार किया गया है और ………… को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो मोबाइल नंबर ………………., पैन नंबर ……………………………. ………….. के साथ ……..से, वाहन पंजीकरण संख्या …………. ..से संबंधित है।

जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) ………………. को जारी किया गया था और ………………. तक वैध है।

वाहन का विवरण:

मेक:	मॉडल:
वाहन की श्रेणी/वर्ग:	वाहन का प्रकार (परिवहन/गैर-परिवहन):
ईंधन का प्रकार:	क्यूबिक क्षमता:
बैठने की क्षमता(सभी में):	विनिर्माण का वर्ष (वर्ष):
लदान रहित भार (किलोग्राम):	सिलेंडर्स की संख्या:
पंजीकृत सकल वाहन भार (किलोग्राम):	व्हील बेस(एमएम):

इस प्रमाणपत्र का मालिक एक नए वाहन की खरीद पर निम्नलिखित लाभों का दावा करने का हकदार है। इनका लाभ केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।

1. सीएमवीआर, 1989 के नियम 81 के अनुसार पंजीकरण शुल्क में छूट
2. नए वाहन की खरीद की स्थिति में यथा निर्धारित मोटर वाहन कर पर रियायत
3. ऑटो ओईएम डीलरों के विवेक के अनुसार ऑटो ओईएम छूट

व्यापार की तारीख: **व्यापार सं.:**

वैधानिक चेतावनी: <u>इस प्रमाण पत्र को उपयोग के समय सत्यापित करने की आवश्यकता है</u>

व्यापार करने की जानकारी

आप इन 4 मूल चरणों का अनुपालन करके भी इस प्रमाणपत्र का व्यापार कर सकते हैं।

1 → 2 → 3 → 4

1. व्यापार पर क्लिक करें या व्यापार पोर्टल पर जाएं
   डीएससी
2. विक्रय के लिए अपना मूल्य बताएं
   हस्ताक्षर
3. खरीददार क्रय मूल्य बताएं
4. मालिक आंवटित करे और खरीददार पुष्टि करें

जमा प्रमाणपत्र का व्यापार इतिहास

सीओडी मालिक का नाम	व्यापार की तारीख	व्यापार संदर्भ सं.
	मूल मालिक	

सत्यमेव जयते
MORTH
Government of India

15. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3क (v) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"कुल जोड़ (i+ii+iii+ iv =एक्स)"
16. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3ख (ix) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"उप-जोड़ (क)"
17. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3ग (vi) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"उप-जोड़ (ख)"

18. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3घ (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"उप-जोड़ (ग)"

19. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3ङ. के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" कुल जोड़ (क+ख+ग =वाई) "

20. प्रपत्र-3, प्रविष्टि 3च के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

" मास बैलेंस (एक्सवाई) "

21. प्रपत्र -4 में, प्रविष्टि 4 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"विनिर्माण का वर्ष (वाईवाई)"

22. प्रपत्र -4 में, प्रविष्टि 6 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त वाहन के संबंध में रिकॉर्ड का अद्यतन किया जा सकता है।"

]फा. सं.आरटी-23013/01/2018-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट- मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.653 (अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2022

G.S.R. 192(E).—The following draft of certain rules, further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 59 and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public; these draft rules are being published to supersede the draft rules published vide draft GSR 172(E) dated 04.03.2022.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi - 110 001 or by email at <comments-morth@gov.in> within the period specified above;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility Amendment) Rules, 2022.

(2) These rules shall come into force on the date of final publication in the official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021, (hereinafter referred as said rules), in rule 3 sub rule (1) for clause (c), the following shall be substituted, namely:

   "'Certificate of Deposit' means the certificate issued by the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) to recognise the submission of the vehicle from the registered owner to the RVSF for further treatment."

3. In rule 4 for subrule (2), the following shall be substituted, namely:

   "The Registered Vehicle Scrapping Facility must have necessary cyber security certifications for the IT Systems before start of operation for safe access to the VAHAN database."

4. In rule 4 subrule (3), the following words, "as well as with the local Police" shall be omitted

5. In rule 5 for sub rule (h) clause (i), the following shall be substituted, namely:

"The entity shall have necessary cyber security certifications specified under sub-rule (2) of rule 4 before start of operation"

6. In rule 6, sub rule (1) clause (ii), the following words, "plus ninety days" shall be omitted

7. In rule 7, for subrule (5), the following shall be substituted, namely:

"The registration issued under this rule and rule 6 shall not be transferable"

8. For rule 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"Scrapping Procedure: - (1) The scrapping of vehicles shall be carried out by an RVSF in respect of all End-of-Life Vehicles, by the following procedure, namely: -

i. The registered owner shall apply digitally on Vahan as per Form-2 to the RVSF or the designated Collection Centre for deposit and further treatment of the vehicle. The RVSF and the designated Collection Centre shall also act as facilitation centres to support citizens with digital application of Form-2.

ii. Vehicles impounded by an enforcement agency shall be handed over to the RVSF, if they meet the criteria for vehicle scrapping as per rule (8).

iii. The RVSF shall verify the records of the vehicles produced for scrapping with the database of the stolen vehicles held by National Crime Records Bureau through the Vahan portal.

iv. The Registered Vehicle Scrapping Facility shall also digitally verify through the Vahan portal -

a. that the hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (1) of section 51 of the Act has been duly discharged for the concerned vehicle,

b. that there are no pending dues on the vehicle, and

c. that the vehicle has not been blacklisted

If the vehicle fails any of these checks, the owner shall not be allowed to submit the digital application as per Form-2.

v. The following documents shall be uploaded along with Form-2 by the registered owner for verification by the RVSF -

a. copy of the Permanent Account Number card of the owner;

b. cancelled cheque of the bank account of the owner;

c. letter of authorization on stamp paper for the authorized representative as per para 5 of Form-2, applicable if the vehicle is not to be submitted by the owner

d. identity proof of the authorized representative (if applicable) such as passport, voter card, Aadhar card, driving license or photo identity card issued by the State Government or the Central Government;

e. address proof of the owner such as electricity bill, water bill, land line telephone bill or piped cooking gas bill etc; and

f. digital photograph of the owner or authorized representative with the End-of-Life Vehicle

g. an undertaking, as per para 4 of Form-2 from the owner acknowledging that all information furnished in digital Form-2 application is true as per his knowledge

vi. Once the digital application as per Form-2 is submitted on Vahan, it shall be sent digitally to the regional transport office for no dues for vehicle scrapping as per rule 58A of CMVR.

vii. On receiving the no dues for vehicle scrapping from the regional transport office, the RVSF shall accept the digital application as per Form-2 and inform the owner to submit the vehicle for scrapping. If the no dues for vehicle scrapping is not provided by the regional transport office, the RVSF cannot accept the application for scrapping.

viii. The owner or his authorized representative shall submit the vehicle along with the original certificate of registration to the RVSF and sign a digital undertaking as per Form-2A. The RVSF shall also sign a digital undertaking as per Form-2B. In case of no action by the vehicle owner after acceptance of digital application as per Form-2 by the RVSF, the application shall expire along with the no dues for vehicle scrapping as per Rule 58A of CMVR. The RVSF shall digitally remit or pay by an account payee cheque, the agreed consideration for the vehicle and obtain a receipt for the same from the owner or his authorized representative for record.

ix. The RVSF shall deface or punch the certificate of registration in the presence of the owner or his authorized representative and issue a digitally signed Certificate of Deposit in Vahan, as per Form 2C, as evidence of acceptance of vehicle for scrapping.

x. The RVSF established in a State may accept and scrap the vehicles registered in any of the State or Union Territory under the jurisdiction of any Registration Authority.

xi. The whole process shall be seamlessly linked with VAHAN on pan India basis irrespective of the location of any vehicle registering authority.

xii. The Certificate of Deposit shall be a necessary and sufficient document for the owner to avail incentives and benefits for purchase of a new vehicle as may be declared from time to time. The validity of this certificate shall be 2 years from the date of issuance.

xiii. The Certificate of Deposit shall be electronically tradeable. The transfer Certificate of Deposit shall be generated on the trading platform for each new owner as per Form 2D. The Certificate of Deposit once utilised shall be marked “Cancelled” in the Vahan database by the regional transport office or dealer providing the benefits to the bearer of the said certificate.

xiv. The regional transport office/dealer registering the new vehicle purchased against the Certificate of Deposit shall verify and authenticate the Certificate of Deposit digitally.

xv. The RVSF shall facilitate the process of transmission of original certificate of registration (defaced or punched) along with Certificate of Vehicle Scrapping to road transport or regional transport office, in the state of registration of the vehicle, to get the vehicle registration cancelled as per rule 52B of CMVR.

xvi. The RVSF shall have the cut piece of the chassis number in safe custody for a period of six months from the date of issue of Certificate of Vehicle Scrapping issued under rule 11.

xvii. The RVSF shall maintain digital scanned copy of all documents for a period of ten years for record and examination during inspection.

xviii. The RVSF shall ensure that removal or re-cycling or disposal of hazardous parts of the scrapped vehicle is done as per CPCB guidelines for Environmentally Sound Management of End-of-Live Vehicles and AIS-129.

xix. Vehicles shall not be scrapped until the fuel, oil, antifreeze, and other gases, fluids etc. are drained and collected in certified standard containers.

xx. A digital register of vehicles scrapped shall be maintained in Form-3.”

9. In rule 11 subrule 1, the following shall be substituted, namely: -

“The RVSF, after completing the necessary treatment, shall issue a digital Certificate of Vehicle Scrapping including a digital photograph of the cut out of the chassis, in Form-4 to update the VAHAN Database and inform the competent authority of the State Government or Union territory Government for updating of records as per rule 52B of CMVR.”

10. In rule 13 subrule 12, the following shall be substituted, namely:

“Collection centre may be established by an RVSF at any other place as well, other than the Scrapping Yard. If collection centre undertakes activities such as depollution and dismantling, then the requirements applicable for RVSF shall also be applicable to such collection centre”

11. Form-1 shall be substituted with the following, namely:

"FORM- 1

(Refer rule 6(1))

APPLICATION FOR REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY (RVSF)

1. FOR OFFICE USE

Application for	**Please tick as applicable**
Registration for a new RVSF	
Renewal of Registration for existing RVSF	
Modification in existing registration	

APPLICATION NO	
APPLICATION DATE	
DATE	
FEE	
SECURITY DEPOSIT	

2. GENERAL INFORMATION

i	Name								
ii	Short name (max 35 chars)								
iii	Address								
iv	Tel								
v	FAX								
vi	Email								
vii	CIN								
viii	PAN								
ix	GST								
x	Status	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP
xi	Attach	MoA					AoA		
xii	Existing Activities of the Company (National Industrial Classification Code)								

3. PLANT DETAILS

a	Location (Provide Map)			
b	Area (sq m)			
c	Possession Details	Owned	Lease/Period	Years
d	State			
e	District			

f	Category of industrial zone	

4. Proposed Activities of the Company	L Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	M Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	N Vehicles	Yes	No	Capacity		Nos
	Other	Yes	No	Capacity		Nos
5. Proposed Capital Structure (INR Lakh)	Authorized					
	Subscribed					
	Paid-Up					
6. Proposed No of Employees						

7. <u>Availability of Space</u>

a	Plant Design and Layout, showing following spaces and areas (sqm):-	
b	Earmarked area for the safe and environmentally compliant parking of waste vehicles (sqm)	
c	Designated areas for storing the segregated scrap (sqm)	
d	Space for processed scrap and usable parts (sqm)	
e	Designated space for temporary storage of automotive hazardous waste (sqm)	
f	Provision of space for parking of safe transportation of spares, scrap and waste products (sqm)	

8. <u>Availability of Equipment</u>

a	Certified de-polluting equipment	Yes	No
b	Certified de-risking equipment	Yes	No
c	Safety and occupational health equipment	Yes	No

9. <u>Environmental Clearance</u>

a	Consent to Establish	
b	Consent to Operate	

10. Undertaking

	The Applicant hereby undertakes to			
a	Comply with CPCB Guidelines for the Safe Disposal of scrapped vehicles		Yes	No
b	Obtain the Quality Certifications within 12 Months of Issue of Registration			
	i	ISO 9001	Yes	No
	ii	ISO 14001	Yes	No
	iii	ISO 45001	Yes	No
c	Comply with the Hazardous Waste Management Rules (2016)		Yes	No
d	Security certifications for the IT Systems for safe access to VAHAN database		Yes	No

Digital Signature/ Company Seal in case on offline form

Date

"

12.

For Form-1A, entry 12 shall be substituted with the following, namely:

"

12.	CONDITIONS			
	a	Registration is Non-Transferable		
	b	Undertaking are to be liquidated by	Date	
	c	Submit Compliance Self-Certification by	Date	
	d	Facility Inspection Due	Date	
	e	First Test Audit Due	Date	
	f	Security certifications for the IT Systems for safe access to VAHAN database	Date	

"

13. Form-2 shall be substituted with the following, namely:

"FORM – 2

(Refer rule 10(1))

APPLICATION FOR VEHICLE SCRAPPING

1.	**OWNER DETAILS**					
	A	NAME				
	B	ADDRESS				
	C	MOBILE NO				
	D	E MAIL				
	E	PAN				
	F	BANK ACCOUNT				
		i	NAME OF BANK			
		ii	BRANCH			
		iii	ACCOUNT NUMBER			
		iv	IFSC			
		v	CONSIDERATION RECEIVED (Rs)			
		vi	RECEIPT NO AND DATE			
2.	**VEHICLE DETAILS**					
	REGISTRATION NO					
	MAKE					
	MODEL					
	VEHICLE CATEGORY					
	CHASSIS NO					
	ENGINE NO					
	MONTH/YEAR OF MANUFACTURE					
3.	**DOCUMENTS**					
	A	Original Certificate of Registration.				
	B	Pan card of registered owner.				
	C	Authorization from the registered owner on stamp paper				
	D	Cancelled cheque of the bank account of the owner				
	E	Identity Proof of the authorized representative, if applicable				
	F	Address proof of the owner				
	G	Digital photograph of authorized representative or owner				

4.	**UNDERTAKING BY APPLICANT AT TIME OF FORM-2 SUBMISSION**
	I/We ,……………………………………………… Resident of .... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in this form are true and correct; the subject vehicle is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/WE are fully liable for any false declaration furnished above.
5	**LETTER OF AUTHORIZATION**
	1. I…………son/daughter of…………resident of……………owner of vehicle registration number…………do hereby authorize………………. son/ daughter of………………………. resident of……………as my legal authority to deposit the above stated vehicle for the purpose of scrapping at the <RVSF Name> 2. That the above stated vehicle deposited by the above stated authorized person shall be deemed as if deposited by me only for all legal purposes and intents Signature (Authorized Representative) — Signature (Registered vehicle owner) Signature attested Date: Place:

”

The following Form-2A, Form-2B, Form-2C and Form-2D shall be added after Form-2, namely:

"FORM – 2A

UNDERTAKING BY APPLICANT AT THE TIME OF VEHICLE SUBMISSION

(Refer rule 10(1))

I/ We,…………………………………………………………………………….. Resident of .... hereby declare that all the particulars furnished by me / us in Form 2 application are true and correct; the subject vehicle with registration number……………. is not engaged in any kind of criminal activity/litigation and realize that I/We are fully liable for any false declaration furnished in Form-2. I/We hereby declare that there are no pending dues on the said vehicle; the hire-purchase, lease, or hypothecation agreement in the certificate of registration of the said vehicle has been duly discharged and that I/We shall be fully liable for any such dues and charge pending before this <date and timestamp> and I/We fully indemnify the Registered Vehicle Scrapping Facility <RVSF name>……… from all such charges.

FORM – 2B

UNDERTAKING BY RVSF AT THE TIME OF VEHICLE SUBMISSION

(Refer rule 10(1))

I/We,……………………………………………………………….on behalf of <RVSF Name> .... hereby declare that I/We are fully liable for any kind of criminal activity/litigation charges and financial dues such as challans, motor vehicle tax etc. accrued on the subject vehicle with registration number…………….... after this <date and timestamp> and I/We fully indemnify the registered vehicle owner <name>…………. from all such charges.

FORM – 2C

CERTIFICATE OF DEPOSIT ***(Refer rule 10(1))***

(QR code to validate authenticity of CD)

CERTIFICATE OF DEPOSIT

Certificate No:

*We <RVSF Name> certify that **Vehicle Registration No**.............. with **Year of first registration** as .... has been accepted at our facility vide our **Inward No**............ **dated**............ for treatment in accordance with these rules for the Disposal of Vehicles and the agreed consideration has been paid to the owner vide our **Payment Voucher No**.............. **dated**..............*

Vehicle Details:

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

We further certify, that on completion of Treatment, the National Register (VAHAN Database) and the competent authority would be intimated for updating records.

This certificate is in the name of <current owner of CD> and is valid until..............

Date of issuance: **RVSF No:**
State/UT of scrapping: (Digital signature of RVSF)

Disclaimer: *This certificate needs to be validated at the time of utilization*

Trading Information

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.

1. Click on Trade or Go to Trading Portal
2. Quote Your Price to Sell
3. Buyer Quotes Purchase Price
4. Owner Allocates a Buyer Confirms

Trade certificate

FORM – 2D

TRANSFER CERTIFICATE OF DEPOSIT ***(Refer rule 10(1))***

Certificate No.:

The certificate has been traded and transferred to.................... with Mobile No...................., PAN No. ....from................., pertinent to the Vehicle Registration No.............

The Certificate of Deposit (COD) was issued on.....................and is valid until.....................

Vehicle Details:

Make:	Model:
Vehicle Category/Class:	Vehicle Type (Transport/Non-Transport):
Fuel type:	Cubic capacity:
Seating capacity (in all):	Year of manufacturing (YYYY):
Unladen weight (kgs):	Number of cylinders:
Registered gross vehicle weight (kgs):	Wheelbase (mm):

The owner of this certificate is entitled to claim the following benefits on purchase of one new vehicle. These benefits can be availed only once.

1. Registration fee waiver as per Rule 81 of CMVR, 1989
2. Concession on motor vehicle tax as prescribed in the state of purchase of new vehicle
3. Auto OEM discount as per the discretion of auto OEM dealers

Trade Date: **Trade No.:**

सत्यमेव जयते

Disclaimer: *This certificate needs to be validated at the time of utilization*

MORTH
Government of India

Trading Information

You can also trade this certificate by following these 4 basic steps.

1 Click on Trade or Go to Trading Portal → 2 Quote Your Price to Sell → 3 Buyer Quotes Purchase Price → 4 Owner Allocates and Buyer Confirms

DSC Signature

Trade History of Certificate of Deposit

COD Owner Name	Trade date	Trade Reference No.
	Original Owner	

सत्यमेव जयते
MORTH
Government of India

”

15. Form-3, entry 3A (v) shall be substituted with the following, namely:
“GRAND TOTAL (i+ii+iii+iv =X)”

16. Form-3, entry 3B (ix) shall be substituted with the following, namely:
“SUB-TOTAL (a)”

17. Form-3, entry 3C (vi) shall be substituted with the following, namely:
“SUB-TOTAL (b)”

18. Form-3, entry 3D (iii) shall be substituted with the following, namely:
“SUB-TOTAL (c)”

19. Form-3, entry 3E shall be substituted with the following, namely:
“GRAND TOTAL (a+b+c =Y)”

20. Form-3, entry 3F shall be substituted with the following, namely:
“MASS BALANCE (X-Y)”

21. In Form-4, entry 4 (d) shall be substituted with the following, namely:

"Year of Manufacture (YY)"

22. In Form-4, entry 6 shall be substituted with the following, namely:

"It is requested that the records in respect of above-mentioned vehicle may be updated."

[F. No. RT-23013/01/2018-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 653 (E), dated the 23rd September, 2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.11 18:03:11 +05'30'